



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

[प्रेस विज्ञप्ति](#)

[दिनांक 28.11.2024](#)

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 06 मामलों में 07 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 10,400/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2001 में अभियुक्त तहसीन पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 321/2001 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2002 में अभियुक्त वकील पुत्र जीजू निवासी गढी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 54/271/2002 धारा 216ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में न्यायालय बैठने तक की अवधि व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2005 में अभियुक्तगण 1.नफीस पुत्र बुन्दू निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली 2.असगर पुत्र बुन्दू निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 188/735/2005 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 1,200-1,200/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 1999 में अभियुक्त रामकुमार पुत्र तुलसी ग्राम मंगलौरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 352/1999 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 1990 में अभियुक्त धीरा पुत्र बाबू निवासी मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 95/1990 धारा 427/435/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
6. वर्ष 1991 में अभियुक्त राजकुमार पुत्र तुलसी निवासी ग्राम मंगलौरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 44/16/1991 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2024 को माननीय न्यायालय CJJD/JM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व

1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.तहसीन पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामिल।
- 2.वकील पुत्र जीजू निवासी गढी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 3.नफीस पुत्र बुन्टू निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 4.असगर पुत्र बुन्टू निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 5.रामकुमार पुत्र तुलसी ग्राम मंगलौरा थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 6.धीरा पुत्र बाबू निवासी मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामिल।
- 7.राजकुमार पुत्र तुलसी निवासी ग्राम मंगलौरा थाना झिंझाना जनपद शामिल।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI